भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1883

(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बीपीएल परिवार

1883. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विगत दो वर्षों के दौरान ऐसे परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे परिवारों की संख्या कम करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क से ग): वर्ष 2011 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी की बहुआयामी प्रकृति की पहचान की और राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सामाजिक -आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 करवाई। यह जनगणना आवास , भूमि स्वामित्व , शैक्षिक स्थिति , लैंगिक स्थिति, विकलांगता, व्यवसाय, संपत्ति स्वामित्व , अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) वर्गीकरण और आय सहित परिवारों के विभिन्न सामाजिक -आर्थिक पहलुओं पर व्यापक डेटा उपलब्ध कराती है।

एसईसीसी 2011 में, एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण परिवारों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया था : (i) "स्वतः बहिष्कृत परिवार ," (ii) "स्वतः सम्मिलित परिवार ," और (iii) "वंचित परिवार"।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में एसईसीसी की प्रक्रिया पूरी की गई। निष्कर्ष

एसईसीसी वेबसाइट (www.secc.gov.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। एसईसीसी डेटा 17.97 करोड़ ग्रामीण परिवारों की सामाजिक -आर्थिक स्थिति को दर्शाता है , जिसके कारण 13 मापदंडों के आधार पर 7.07 करोड़ (39.34%) परिवार स्वतः ही गरीबी से बाहर हो गए। इसके अतिरिक्त, 5 मापदंडों के आधार पर 0.16 करोड़ (0.89%) परिवार स्वतः ही सबसे गरीब के रूप में शामिल हो गए, और 8.72 करोड़ (48.53%) परिवारों को सात मानदंडों के आधार पर वंचित पाया गया।

वर्ष 2020 में, नीति आयोग को बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया , जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की निगरानी के लिए एक स्वदेशी सूचकांक बनाने के लिए जिम्मेदार है। भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) विकसित किया गया था। बेसलाइन रिपोर्ट नवंबर 2021 में प्रकाशित हुई और राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया गया।

गरीबी के मापन के लिए सरकार द्वारा 2021 में विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों में अतिव्यापी अभावों को दर्शाता है, जिसमें 12 संकेतक शामिल हैं। नवीनतम रिपोर्ट 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' के अनुसार, बहुआयामी रूप से गरीब व्यक्तियों का अनुपात 2015-16 और 2019-21 के बीच 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए।

जनवरी 2024 में, नीति आयोग ने '2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी' के ऊपर एक चर्चा पत्र जारी किया, जिसमें 2013-14 में 29.17% से 2022-23 में 11.28% तक बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट पर प्रकाश डाला गया, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए।

एमपीआई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण सार्वजनिक डोमेन में है और इसे https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf पर देखा जा सकता है।

सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी गरीब लोगों का उत्थान किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के

विकास आदि पर मुख्य ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक कल्याण हेतु बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है। इस संबंध में, सरकार कई लक्षित कार्यक्रम लागू कर रही है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , मिशन पोषण, सक्षम आंगनवाड़ी, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य आदि।

*****